राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/11/13042–13202 दिनांक 26/2/2024

समस्त विभागाध्यक्ष।

विषयः– **संवेतन माह फरवरी देय मार्च 2024 के समस्त बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 से जनरेट कर पारित व भुगतान किए जाने के क्रम में।**

संदर्भः– वित्त विभाग का परिपत्र 9565–7640 दिनांक 27.01.2024 व पत्र क्रमांक 11592–751 दिनांक 08.02.2024

महोदय,

संदर्भित परिपत्र के क्रम में आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर संवेतन माह फरवरी देय मार्च 2024 के बिलों को जनरेट करने के पश्चात आहरण वितरण अधिकारियों से जांच कर कोष कार्यालयों में फॉरवर्ड करने व पारित करने की प्रक्रियाऐं प्रारम्भ हो चुकी है।

इसके अन्तर्गत नवीन प्रक्रियाओं में संवेतन बिलों की जांच को सुनिश्चित करने हेतु आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बिल कोष कार्यालयों को OTP अधिकृति के पश्चात ही प्रेषित किए जाने है अतः माह मई 2024 तक इसी प्रक्रिया से बिल प्रेषण किया जायेगा। तत्पश्चात पुनः ऑटो फारवर्ड प्रक्रिया परिपत्र दिनांक 17.06.2021 के क्रम में लागू होगी।

इसी प्रक्रिया के निर्बाध सम्पादन हेतु जिला स्तर पर कोषाधिकारी व तहसील स्तर पर उपकोषाधिकारी नोडल अधिकारी होगें। इस हेतु गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम निरन्तर सम्पादित किया जा रहा है तथा सभी आहरण वितरण अधिकारियों के उपलब्ध अद्यतन संवेतन डेटा के आधार पर बिल जनरेट कर सिस्टम पर प्रदर्शित कर दिए गए है। अभी तक लगभग 40000 बिल कोष कार्यालयों को प्रेषित किए जा चुके है।

अतः उक्त कार्य की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को सिस्टम जनरेटेड संवेतन बिलों की जांच कर आई.एफ.एम.एस. 3.0 के माध्यम से ही OTP आधारित अधिकृति के साथ समय पर कोष कार्यालयों में प्रेषण हेतु पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करावें। User Manual IFMS 3.0 पर उपलब्ध है। Operational guidelines परिशिष्ट–'क' पर संलग्न है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

भवदीय

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/11/ 13203-208 दिनांक 26/2/2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, समस्त विभाग अधीनस्थ कार्यालयों से संवेतन बिल कोष कार्यालय को प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. श्री आई.डी. वरियानी, वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी., एल.आई.सी. भवन, जयपुर।
6. श्री मुकेश शर्मा, वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी., एल.आई.सी. भवन, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट–'क'

1. सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष अपने SSO Login से https://ifms.rajasthan.gov.in/ifmssso/#/home में Enter करने के पश्चात अपने SSO login से work space का चयन करें तथा HOD के रोल का चयन करने पर HO/DDO Mapping को choose करें।
2. इसमें सभी अधीनस्थ HO/DDO की Mapping करें।
3. TO/STO द्वारा अपने समस्त DDO का verification system पर किया गया है। इस प्रकार अधिकृत DDO ही बिल प्रेषण का कार्य कर पायेगें।
4. विभागाध्यक्ष से HO/DDO का अतिरिक्त चार्ज दिए जाने का भी Option रखा गया है।
5. आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नम्बर परिवर्तन की सुविधा सम्बद्ध कोष कार्यालय को उपलब्ध है।
6. कार्मिक का स्थानान्तरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में होने पर आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर Joining व Relieving का उपयोग करे यह Mandatory है reliving order सिस्टम से न दिए जाने पर संवेतन बिल जनरेशन में व्यवधान होगा।
7. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों को Staff declare करने व User role assign की सुविधा भी दी गयी है।
8. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा समस्त कार्मिकों के डेटा तथा सिस्टम जनरेटेड संवेतन बिलों की भलीभांति जांच की जानी है तथा OTP आधारित अधिकृति से कोष/उपकोष को फॉरवर्ड करना है।
9. यदि किसी संवेतन बिल में त्रुटि है तो उसे डिलीट कर नया बिल जनरेट किया जा सकता है। इस हेतु Other request की आवश्यकता नहीं होगी।
10. कार्मिक के Status परिवर्तन व अन्य डेटा में परिवर्तन Work Flow आधारित होगा।
11. नवीन राजकीय कार्मिकों, केन्द्र सरकार से डेपुटेशन पर आने पर इत्यादि के लिए आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर नवीन Employee creation किया जाकर Employee id जनरेट कर ही संवेतन बिल बनाये जाने अपेक्षित है।
12. निलम्बन, APO, स्थानान्तरण, मृत्यु, VRS, CRS इत्यादि मार्क करने की सुविधा सिस्टम पर Work flow आधारित है।
13. विभिन्न भत्तों एवं कटौतियों के परिवर्तन भी नियन्त्रणों के अधीन अधिकृतियों को उपलब्ध करवाये गए है।